BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 09/10 मई, 2025 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना सिकन्द्राबाद**

किराना व्यापारी को गोली मारने वाले बदमाश से थाना सिकन्द्राबाद पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 09/10.05.2025 की रात्रि को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम एक अभिसूचना के आधार पर ग्राम जौली गेट के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी उसी समय ग्राम जौली की तरफ से बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिनको रूकने का इशारा किया गया, नही रुके बल्कि पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को तेजी से लेकर जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगे। जिसपर पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गयी। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा 01 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के निरन्तर प्रयास किए जा रहे है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान सुमित पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम जौली थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का अपराधी हैं। जिसके द्वारा दिनांक 30.04.2025 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत जेवर तिराहे पर एक किराना व्यापारी को गोली मारने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं 395/25 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/151(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सुमित पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम जौली थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

2- 01 पल्सर बाइक (बिना नम्बर प्लेट)।

अभियुक्त सुमित का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-166/13 धारा 302 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-406/24 धारा 147/148/323/504/506/395/307 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-395/25 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/151(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

4- मुअसं-426/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद।

2- व0उ0नि0 अरुण कुमार, उ0नि0 श्रीओम गौतम, उ0नि0 शिवशंकर, उ0नि0 शिवमकुमार, उ0नि0 यतेन्द्र शर्मा।

3- है0का0 श्रीपाल, है0का0 भूपेन्द्र, का0 रोहित।

मीडिया सेल बुलंदशहर